मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 11, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चौंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए), तथा

(ख) दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2009-2010
पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में हत्या के आरोपी न पकड़े जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड जिले के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दस्तावेजों में कूट रचित कर अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री पुरूषोत्तम दांगी, रामनिवास रावत, सदस्य, भिण्ड जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के फूफ थाना प्रभारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री सुखदेव पांसे, ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, भोपाल के व्यस्ततम क्षेत्र जी.टी.बी. काम्पलेक्स में शराब की दुकान संचालित होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री एदल सिंह कंसाना, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पंचायत गौसपुर के सचिव पर कार्यवाही न होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री कमल पटेल, जीतु जिराती, अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य, हरदा में एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, विश्वामित्र पाठक, गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, सीधी जिले के बढौरा शिव मंदिर स्थित दुकानदारों से जबरन वसूली किये जाने की ओर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर में स्थापित स्लाटर हाऊस में आधुनिक मशीने न लगाई जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री पारस दादा, यशपाल सिंह सिसोदिया, राजवर्धन सिंह "दत्तीगांव", सदस्य, लेबड़ से जावरा फोरलेन निर्माण में अनुबंध के अनुसार कार्य न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, खंडवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत छात्रावास के निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य, खण्डवा जिले की कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना पूर्ण न होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामलखन सिंह, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में मलेरिया व डेंगू का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री हेमराज सिंह कल्पोनी, पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले में सोयाबीन व खरीफ की क्षतिग्रस्त फसलों की बीमा राशि का भुगतान न होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी में पदस्थ सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर मछलीपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के करेरा क्षेत्र में लिफ्ट माईनर के कार्य में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(17) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल जिले में सड़कों की जर्जर हालत होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री राधेलाल बघेल, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य, दतिया जिले में रेत का अवैध उत्खनन कर रायल्टी की चोरी होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के कुशलपुरा बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के कुम्हारों को रेत निकासी पर रायल्टी की छूट न दिये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम शमशेरपुरा से टोई तक नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के दतला जलाशय के क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट का पुनर्निर्माण न होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के परसमनिया सरपंच द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर राशि का आहरण किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम बिजोरामाफी में अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री पुरूषोत्तम दांगी, डॉ. गोविन्द सिंह, रणवीर सिंह जाटव, सदस्य, भिण्ड जिले के सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के नागौद एवं उचेहरा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों द्वारा बगैर स्वीकृति पौधों की खरीदी किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, संजय सागर बांध के डूब प्रभावितों के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, नागदा उप संभाग में विद्युत ट्रांसफार्मर न बदले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य, भोपाल के जे.के. रोड स्थित शॉपिंग काम्पलेक्स के अवैध निर्माण के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, सिंगरौली जिले के भैसाहुन रेत खदान से अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के ग्राम मौहार में विषाक्त अनाज के सेवन से तीन बच्चों की मौत होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री परसराम मुद्गल, सदस्य, मुरैना जिले में अवैध रूप से भूमि के पट्टे दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य, मुरैना जिले के सुनहरा नहर में कम मात्रा में पानी दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, सीहोर जिले के वन परिक्षेत्र इछावर अंतर्गत निस्तारी लकड़ी न मिलने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, चंबल संभाग में बिजली आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य, प्रदेश में कपास उत्पादन हेतु जैविक बीज न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री विश्वास सारंग, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, सतना जिले के मेसर्स प्रिज्म सीमेंट द्वारा अवैध उत्खनन कर रायल्टी की चोरी किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य, धार जिले के ग्राम लेबड़ स्थित शराब की फैक्ट्री में विस्फोट होने से दो श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, खण्डवा जिले के किल्लौद में विद्युत वितरण कार्यालय न खोले जाने की ओर राज्यमंत्री, ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले में छात्रावास/आश्रम संचालन में अनियमितता होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) श्री राजवर्धन सिंह "दत्तीगांव", सदस्य, सीहोर के आष्टा तहसील अंतर्गत राजनैतिक द्वेष से जिला बदर की कार्यवाही किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, खण्डवा जिले के इंदिरा सागर में मत्स्य बीज के कार्य में अनियमितता होने की ओर मछलीपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, सिवनी जिले की अनेक सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति, लोक लेखा समिति का 134 वां से 141वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के -
- (क) ग्राम कैथोकर में पंचायत भवन निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम गलान में बहुउद्देशीय भवन स्वीकृत किये जाने,
- (ग) ग्राम करारागंज में आंगनवाड़ी भवन निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम पंचायत महेड़ में बहुउद्देशीय भवन निर्माण किये जाने,
- (ङ) ग्राम भदेसर में बहुउद्देशीय भवन निर्माण किये जाने,
- (च) ग्राम गुदारा में पंचायत भवन निर्माण किये जाने,
- (छ) ग्राम उर्दमऊ के मौहाल बस्ती में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने, तथा
- (ज) ग्राम झिकमऊ में बहुउद्देशीय भवन निर्माण किये जाने,

(2) डॉ. भानू राना, सदस्य, सागर जिले के -
- (क) ग्राम ढेचुआ में नल जल योजना स्वीकृत किये जाने,
- (ख) ग्राम चिखली जमुनिया में हाई स्कूल खोले जाने,
- (ग) ग्राम देवरी नगर में सुखचैन नदी पर पुल निर्माण किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम अनन्तपुरा से डुगरिया मार्ग के बीच पुलिया निर्माण किये जाने,

(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के -
- (क) ग्राम रजाखेड़ी में हाट बाजार स्वीकृत किये जाने,
- (ख) ग्राम मकरोनिया में यात्रि प्रतिक्षालय स्वीकृत किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम पंचायत रजाखेड़ी में सुलभ शौचालय स्वीकृत किये जाने,

(4) श्री माखनलाल राठौर, सदस्य, शिवपुरी जिले के -
- (क) ग्राम गौरी से खड़ेरा तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम तिजारपुर से रन्नौद के मध्य एट नदी पर रपटा निर्माण किये जाने,

(5) श्री रोडमल राठौर, सदस्य, उज्जैन जिले के -
- (क) ग्राम कनासिया में हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने, तथा
- (ख) ग्राम सामानेरा में स्थित काली सिंध नदी पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(6) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी, सदस्य, रतलाम जिले के -
- (क) ग्राम रामपुरिया के उंकाला नाले पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम गुणावद में नई ग्रिड स्थापना किये जाने,

(7) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य, अलीराजपुर जिले के -
- (क) ग्राम कानाकाकड़ में कंक्रीट रोड निर्माण कराये जाने,
- (ख) रतलाम से शिवगढ़ तक मार्ग चौड़ीकरण किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम जोबट के सामुदायिक अस्पताल में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(8) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य, सागर जिले के -
- (क) ग्राम बन्डा नगर के शमशान घाट पर कचरा डालने पर प्रतिबंध लगाये जाने,
- (ख) ग्राम बन्डा नगर के शमशान घाट से अतिक्रमण हटाये जाने,
- (ग) ग्राम चौका भेड़ा के नाले पर पुल निर्माण किये जाने
- (घ) ग्राम भडराना से डहरा तक मार्ग निर्माण किये जाने
- (ङ) ग्राम टागिया में विद्युत ट्रान्सफार्मर एवं पोल लगाये जाने,
- (च) ग्राम टागिया के तालाब का गहरीकरण किये जाने, तथा
- (छ) ग्राम टागिया में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क निर्माण कराये जाने,

(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के -
- (क) ग्राम छिंदी के स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम सुरलाखापा के शासकीय छात्रावास का भवन निर्माण किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम सिंगोड़ी में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने,

(10) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले में इटारसी की न्यास कालोनी से सोना सांवरी मार्ग पर पुल निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मि.

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 35 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

1 घन्टा

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 31 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

2 घन्टे

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री लोक सेवा प्रबंधन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 32 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन विधेयक, 2011 (क्रमांक 33 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

1 घन्टा

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 37 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(10) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 45 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(11) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2011 (क्रमांक 46 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(12) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 47 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

1 घन्टा

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक होटल में जल एवं वातावरण प्रदूषण का लेखा जोखा रिशेप्शन हाल में दिखाया जाना चाहिए साथ ही प्रत्येक होटल में एक पर्यावरणविद का सेवारत होना अनिवार्य कर देना चाहिए.".

(2) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रेवांचल एक्सप्रेस की भांति भोपाल से रीवा हेतु दिन में भी ट्रेन चलाई जाय.".

(3) श्री पारस दादा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि शासकीय एवं निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाय तथा पी.ई.टी. बंद कर दी जाय.".

(4) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए बहुमंजिला भवनों के बेसमेंट का उपयोग किये जाने हेतु नीति बनाई जाय.".

(5) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि प्रधान मंत्री द्वारा गठित मुख्य मंत्रियों की समिति एवं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतों के वायदा बाजार से खाद्य पदार्थों को मुक्त रखना, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बजट टू बजट स्थिर रखने हेतु स्थायी निधि बनाना तथा सभी वस्तुओं पर एम.आर.पी. के साथ उत्पादन मूल्य मुद्रित करना सहित अन्य सभी सुझावों पर अमल किया जाये.".

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 1 दिसम्बर, 2011